दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 04 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 244

देश में दूसरे दिन लगातार बढ़े कोरोना मामले, 24 घंटे में 1.34 लाख नए मामले, 2887 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस) कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पीक का समय खत्म होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश में पिछले लगातार दो दिनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। मसलन बुधवार की तुलना में गुरुवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामले बढ़कर 1,34,154 सामने आए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में 1,34,154 कोरोना के नए मामले आए, जिसके बाद देश में महामारी के कुल मामले 2,84,41,986 पर पहुंच गए। हालांकि संक्रमण दर गिरकर 6.21 प्रतिशत रह गई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए।

❒ **महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें-** बीते 24 घंटे में जिन 2,887 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से 553 की महाराष्ट्र, 483 की तमिलनाडु, 463 की कर्नाटक, 213 की केरल, 135 की पश्चिम बंगाल, 115 की उत्तर प्रदेश और 103 लोगों की मौत दिल्ली में हुई। इस महामारी से अब तक कुल 3,37,989 लोग जान गंवा चुके है। इनमें से सबसे अधिक 96,751 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद 30,017 की मौत कर्नाटक में, 25,205 की तमिलनाडु में, 24,402 की दिल्ली में, 20,787 की उत्तर प्रदेश में, 15,813 की पश्चिम बंगाल में, 14,748 की पंजाब में और 13,117 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई।

❒ **सक्रिय मामलों में कमी-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से 2,887 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 3,37,989 पर पहुंच गई जबकि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 20 लाख से नीचे है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब भी 17,13,413 मरीज कोरोना वायरस का इलाज करा रहे हैं जो संक्रमण के कुल मामलों का 6.02 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले वाली लोगों की राष्ट्रीय दर 92.79 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,11,499 मरीज कोरोना से ठीक हुए। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार 21वें दिन नए मामलों से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक, इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,63,90,584 हो गई है जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.19 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को कोविड-19 के लिए 21,59,873 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही अब तक देश में 35,37,82,648 नमूनों की जांच की जा चुकी है। संक्रमण दर 6.21 प्रतिशत दर्ज की गई। यह लगातार 10वें दिन 10 प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी गिरकर 7.66 प्रतिशत रह गई है।

विवाहेतर संबंध होने पर भी बच्चे पर है मां का हक

» पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। यदि कोई महिला विवाहेतर संबंध में है तो भी बच्चे को अपने पास रखने के उसके हक को खारिज नहीं किया जा सकता। किसी महिला के दूसरे शख्स से संबंध के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अच्छी मां साबित नहीं होगी। बच्चे की कस्टडी को लेकर एक मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में अकसर ही महिला के चरित्र को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं और कई बार इनका कोई आधार भी नहीं होता है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की महिला ने अर्जी दाखिल कर अपनी साढ़े 4 साल की बेटी की कस्टडी मांगी थी, जबकि वह अपने पति से अलग हो चुकी है, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है।

हाई कोर्ट के जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्ची को महिला को सौंपा जाना चाहिए, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है। महिला से अलग होकर रह रहे पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी एक रिश्तेदार के साथ विवाहेतर संबंध में है। इस पर अदालत ने कहा कि यह एक मनगढ़ंत बयान लगता है। इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। कई बार पितृसत्तात्मक समाज में महिला पर यूं ही चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया जाता है, जबकि कई बार इसका कोई आधार भी नहीं होता है। यही नहीं अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप में है तो भी उसे लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक अच्छी मां नहीं साबित हो सकती। यह तर्क बच्चे की कस्टडी उसे न देने का आधार नहीं हो सकता।

महत्वपूर्ण एवं खास

बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का हुआ ट्रायल शुरू

पटना (आरएनएस)। देश में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। आज पटना एम्स में तीन बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई। यहां 2 से 18 साल के तीन बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों में कोवैक्सिन के क्लीनिकल ट्रायल के लिए 11 मई को इजाजत दी गई थी। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बनाया, लोग अपनी स्वेच्छा से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एम्स को कुल 80 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य दिया गया है। पटना एम्स के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर यह परीक्षण शुरू हो गया। कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल के पहले दिन तीन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। ये तीनों 12 से 18 साल की आयु के हैं और पटना के ही निवासी हैं। तीनों स्वस्थ हैं। किसी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है।

दूषित पानी पीने से छह लोगों ने तोड़ा दम, दर्जनों हुए संक्रमित

गुजरात (आरएनएस)। सूरत शहर के कठौर गांव में कथित तौर पर दूषित पेयजल के सेवन से छह लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना दो दिनों में 30 और 31 मई को हुई थी जब सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विवेक नगर कॉलोनी पहुंचे और ग्रामीणों के बीच क्लोरीन दवा वितरित की। ग्रामीण उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों से पीड़ित थे। दूषित पानी से संक्रमित ग्रामीणों का इलाज पास के सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दूषित पानी के सेवन से ग्रामीण बीमार पड़ गए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि पेयजल पाइप लाइन में लीकेज है और वह जल निकासी के पानी में मिल गई है। सूरत की मेयर वोघावाला ने स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपये देने की घोषणा की। वोघावाला ने कहा कि कॉलोनी में पानी की आपूर्ति बहाल होने तक पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। पाइपलाइन से ग्रामीणों के घरों तक पानी की जांच के लिए वाटर टेस्टिंग वैन भी भेजी जा रही है। कठौर गांव को हाल ही में सूरत के शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया था।

आतंकियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर की हत्या

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बीती देर रात आतंकवादियों ने भाजपा के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस समय हुआ जब पार्षद अपने एक मित्र के घर थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीन आतंकियों के समूह ने रात करीब 10.15 बजे राकेश पंडित पर अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकियों की गोलीबारी में राकेश के मित्र की बेटी भी घायल हुई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राकेश पंडित को सुरक्षा प्रदान की गई थी और उन्हें दो निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन कर वह बिना सुरक्षा के दक्षिण कश्मीर स्थित अपने पैतृक गांव चले गए। प्रवक्ता ने कहा कि क्षेत्र की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस ने बदले चार राज्यों के सचिव, अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उलाका को

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में चार सचिवों की नियुक्ति की है, जबकि एक सचिव का कार्यभार बदल दिया गया है। चार सचिवों में से सप्तगिरि शंकर उलाका को छत्तीसगढ़ का सचिव बनाया गया है। वहीं दीपिका पांडे सिंह को उत्तराखंड, इमरान मसूद को दिल्ली, बृजलाल खबरी को बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि संजय दत्त को तमिलनाडु और पुडुचेरी से हटाकर हिमाचल प्रदेश का काम दिया गया है।

देश में चलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष अभियान

» केंद्र ने राज्यों को कमजोर वर्गों के लिए राशनकार्ड जारी करने के दिये दिशानिर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह जरूरी हो गया है कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाये और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाये।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो जून, 2021 को यह परामर्श जारी किया है कि वे एक विशेष अभियान शुरू करें, ताकि शहरी व ग्रामीण इलाकों की आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर वर्ग की पहचान हो तथा उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्ड दिये जायें। इस विशेष अभियान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी एनएफएसए सीमा के तहत बची गुंजाइश को पूरा करेंगे। विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे समाज के जोखिम वाले और अत्यंत कमजोर वर्ग तक पहुंचने के उपाय करें। इस वर्ग में बेघर लोग, कचरा बिनने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और अन्य लोग शामिल हैं। एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों/घरों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

कोरोना : दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन की 30 करोड़ डोज बुक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच, केंद्र सरकार देश में कोविड टीकों की किल्लत दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल-ई से कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरदीने जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल-ई के साथ कोविड-19 रोधी टीके की 30 करोड़ खुराकें बनाने तथा उनका भंडारण करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए मंत्रालय 1,500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर रहा है। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि टीके की इन खुराकों का उत्पादन एवं भंडारण बायोलॉजिकल-ई इस साल अगस्त से दिसंबर माह के बीच करेगी। बायोलॉजिकल-ई की कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम सकारात्मक आए हैं। इसके बाद, इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी। बायोलॉजिकल-ई की कोरोना वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। बायोलॉजिकल-ई द्वारा विकसित किया जा रहा टीका एक 'आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट' टीका है और यह अगले कुछ महीनों में उपलब्ध हो सकता है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) द्वारा बायोलॉजिकल-ई के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इसको स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। बायोलॉजिकल-ई के साथ समझौता स्वदेशी टीका निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के केंद्र के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह टीका निर्माताओं को अनुसंधान एवं विकास में मदद उपलब्ध कराने के साथ ही वित्तीय सहायता भी दे रहा है। बायोलॉजिकल-ई के संभावित कोविड टीके को केंद्र ने प्रीक्लिनिकल चरण से लेकर तीसरे चरण तक के अध्ययन में मदद उपलब्ध कराई है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने न सिर्फ 100 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि देकर वित्तीय मदद की है बल्कि सभी तरह के अध्ययन के लिए बायोलॉजिकल-ई के साथ साझेदारी भी की है।

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करेगी सरकार

» केंद्र ने राज्यों और जिलाधिकारियों को जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बुधवार को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने और सुगम बनाने के लिहाज से प्राथमिक कर्तव्य वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं ताकि महामारी के दौरान बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय के सचिव मिश्रा ने राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित कर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। राज्यों को सर्वेक्षण और संपर्क के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों का पता लगाना होगा और हर बच्चे की प्रोफाइल के साथ डाटाबेस तैयार करना होगा। उन्हें बच्चों की विशेष जरूरतों का विवरण भी लिखना होगा और इसे ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मिश्रा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को अस्थाई रूप से ऐसे बच्चों को रखने का जिम्मा दिया जाए जिनके माता-पिता कोविड के कारण अस्वस्थ हैं और उनके परिवार में अन्य कोई संबंधी नहीं है। ऐसे बच्चों को जरूरी मदद दी जाए। उन्होंने ने राज्यों से एक स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा जिस पर विशेषज्ञ बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग दे सकें।

❒ **9346 बच्चों ने खोय अपने माता या पिता-** उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए एक हलफनामे में कहा है कि राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में 9346 बच्चे ऐसे हैं जो घातक कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता में से कम से कम एक को खो चुके हैं। इनमें 1700 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता, दोनों की ही कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई है।

ईडी ने उर्वरक घोटाला मामले में राजद के राज्यसभा सांसद को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज सुबह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद ए. डी. सिंह को उर्वरक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। राजद सांसद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दक्षिण दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। यह मामला इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े एक कथित उर्वरक घोटाले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने इफको के एमडी और सीईओ यू. एस. अवस्थी के साथ ही इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के एमडी प्रविंदर सिंह गहलोत को भी नामित किया है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने इफको के एमडी और सीईओ के दोनों बेटों अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी को नामित किया है। भ्रष्टचार के इस कथित मामले में अन्य कई कंपनियों के उच्च पदाधिकारियों को नामित किया गया है।

राजद ने सिंह को पिछले साल मार्च में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था।

ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ संभव नहीं : आयोग, कहा- दोनों के नतीजे सौ फीसदी सटीक आये

नई दिल्ली (आरएनएस)। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर उठते सवालों के बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा कि इसके साथ गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ट्रेल मशीन (वीवीपैट) के बीच का डेटा सौ फीसदी सटीक है। इसकी सटीकता और प्रामाणिकता इस बात से प्रमाणित होती है कि दोनों के परिणाम एक जैसे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के परिणाम में कोई अंतर नहीं है। साल की शुरुआत में चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, इसके आंकड़े एक दम सही सामने आए हैं।

हाल के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) एक-दूसरे के साथ 100 फीसदी मेल खाते हैं। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के एक अधिकारी ने कहा कि डेटा ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100 प्रतिशत मिलान दिखाता है, जो इसकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करता है। इन पिछले विधानसभा चुनावों में इन दो मशीनों के परिणाम इसकी प्रमाणिकता का पहले की तरह पुनः पुष्टि करता है। चार राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे। हर चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ईवीएम को 1989 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया था। 2019 के आम चुनावों में भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का उपयोग किया गया था। हालांकि,2014 में वीवीपैट का उपयोग सिर्फ आठ निर्वाचन क्षेत्रों में ही किया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 1,492, तमिलनाडु में 1,183, केरल में 728, असम में 647 और पुदुचेरी में 156 वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग के लिए 2019 के आम चुनाव में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पांच ईवीएम में वीवीपैट पर्चियों की भौतिक गणना करना अनिवार्य होगा। देश के शीर्ष न्यायालय का यह निर्देश 21 विपक्षी दलों द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद आया था।

ममता ने आयोग को लिखा था पत्र

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की गिनती के साथ वीवीपैट पर्चियों को मिलान करने का आग्रह किया था। उसी पर चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों की सत्यता सौ फीसदी सटीक है। नियम के अनुसार, वीवीपैट पर्चियों की संख्या और संबंधित ईवीएम की गिनती के बीच बेमेल होने की स्थिति में, वीवीपैट की गिनती ही मान्य होती है। हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इसमें गड़बड़ी की शिकायत की थी,लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। आयोग ने कहा था कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। नियम के अनुसार, वीवीपैट पर्चियों की संख्या और संबंधित ईवीएम की गिनती के बीच अंतर होने की स्थिति में, वीवीपैट की गिनती ही मान्य होती है।